

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:

विषय: एस.टी.एफ./एस.एस.जी. के कर्मियों/पदाधिकारियों का प्रोत्साहन/विशेष भत्ता के पुनरीक्षण हेतु गठित समिति के Terms of reference में ए.टी.एस., विशेष शाखा, बम निरोधक दस्ता तथा आपदा प्रबंधन विभाग के एस.डी.आर.एफ. का प्रोत्साहन/विशेष भत्ता का पुनरीक्षण संबंधी विषय जोड़ने के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं.-6901 दिनांक: 13.09.2018 द्वारा श्री राहुल सिंह, सचिव (व्यय), वित्त विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सदस्य श्री पारस नाथ, तत्कालीन आई.जी.मुख्यालय सम्प्रति विशेष सचिव, गृह विभाग एवं सदस्य सचिव, श्री रंजन कुमार, अपर सचिव, गृह विभाग हैं।

2. समिति के Terms of reference में ए.टी.एस., विशेष शाखा, बम निरोधक दस्ता तथा आपदा प्रबंधन विभाग के एस.डी.आर.एफ. का प्रोत्साहन/विशेष भत्ता के पुनरीक्षण का विषय भी शामिल किया गया है।

3. समिति शामिल किये गए विषय पर अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करते हुए अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंप देगी।

राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(डा. एस. सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक: 3ए-09-विविध-09/2018...../वि., पटना, दिनांक:

प्रतिलिपि: समिति के अध्यक्ष, श्री राहुल सिंह, सचिव (व्यय), वित्त विभाग/ समिति के सचिव, श्री पारस नाथ, विशेष सचिव, गृह विभाग/समिति के सदस्य सचिव, श्री रंजन कुमार, अपर सचिव, गृह विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(डा. एस. सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक: 3ए-09-विविध-09/2018...../वि., पटना, दिनांक:

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले. एवं हक.) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(डा. एस. सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक: 3ए-09-विविध-09/2018...../वि., पटना, दिनांक:

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डा. एस. सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव